


२२-४-२२ प्राथीगण द्वारा पत्रावली तलब करने
व दावा विडो करने का बत प्राथना-पत्र
पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी
प्राथीगण उपस्थित एवं पहचानस्वरूप
स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रतियां पेश
की। चूंकि मूलवाद को विडो करने की
अनुमति दी जा चुकी है अतः प्राथीगण
का प्राथना-पत्र खारिज किया जाता है
पत्रावली फ़ैसल अंसार होकर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



संकेत १६६ एवं निगम
पत्रा. ०.५. १९९९
नि. प्रा. १९९९